

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर  
( पीठासीन अधिकारी सुश्री टीना डाबी आई0ए0एस0)

श्री अहमदनूर उर्फ अहमद खा पुत्र श्री जमाल जाति मुसलमान निवासी गगवाना हाल निवासी लोहाखान नई बस्ती  
पहलह खान मोहल्ला तहसील व जिला अजमेर

वादी

बनाम

- 1-कालू पुत्र श्री जमाल खा
- 2-रसीद पुत्र श्री रूस्तम
- 3-रफीक पुत्र श्री रूस्तम
- 4-श्रीमति जैतुन पत्नि श्री रूस्तम
- 5-श्रीमति रहीमा पुत्री रूस्तम
- 6-कु0गुडडी पुत्री रूस्तम
- 7-सनीफ पुत्र श्री जमाल खा
- 8-नाहर खा पुत्र श्री जमाल खा
- समस्त जाति मुसलमान निवासी देशवाली मोहल्ला गगवाना तहसील व जिला अजमेर
- 9-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 का0 अधि01955 सपठित

मुकदमानम्बर :-192 / 13 (59 / 2006)

निर्णय दिनांक :-.....0201.2018.....

वादी अभिभाषक श्री नौरतमल जैन एवं प्रतिवादी 1 व 7 के अभिभाषक श्री रामसुख चौधरी असालतन स्वयं उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 19.05.2017 को पीठासीन अधिकारी सुश्री टीना डाबी आई0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 25 के खसरा 339 रकबा 04-08-10, 344 रकबा 02-02-10, 345 रकबा 17-03-00, 1248 रकबा 01-16-10 1263 रकबा 02-13-00 खसरा संख्या 1264 रकबा 06-15-00 जो कि अ भाग में दर्शित हैं जिसमें वादी का 1/5 हि0 तथा खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 329 रकबा 00-17-10, 330 रकबा 02-03-10 जो कि ब भाग में दशाई भूमि जिसमें वादी का 1/4 हि0 का बटवार तहसीलदार अजमेर दोनों पक्षों की मौजूदगी में तकास्मा (division of holding By Meets & bound According to Rules 18 to 21 ) रिपोर्ट तैयार कर तीन प्रतियों में मय नजरी नक्शे के भिन्न-भिन्न रंगों को दर्शाते हुए न्यायालय के समय प्रस्तुत करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री इसी कद से जारी हो तहसीलदार को पालनार्थ प्रेषित की जावे। **sec. 188 RTA** के तहत प्रतिवादी संख्या से 8 व उनके वारिसान व उनके अर्टोनीज को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का दखल व्यवधान नहीं किया जावे। तथा किसी अन्य को बैचान हस्तानान्तरित नहीं करें।

( टीना डाबी )

सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1-वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2-शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3-प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4-.....रूपयेपरप्लीडर की फीस 5-साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय 6-कमिश्नर की फीस 7-आदेशिका की तामिल		शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	